VANI
Celebrating 30 Years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

सोशल स्टॉक एक्सचेंज और भारतीय स्वयं सेवी क्षेत्र

एक अध्ययन रिपोर्ट

INDIVIDUALL MÄNNISKOHJÄLP
SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

सोशल स्टॉक एक्सचेंज और भारतीय स्वयं सेवी क्षेत्र - एक अध्ययन रिपोर्ट

लेखक: वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)

अक्टुबर 2020

कॉपीराइट (c) वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
इस पुस्तक की विषय वस्तु पूरे या कुछ हिस्सों में प्रकाशक को उचित स्वीकृति के साथ पुनः प्रस्तुत की जा सकती है।

प्रकाशक:
वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
वाणी हाउस, 7, पी एस पी पॉकेट,
सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली -110 077
फ़ोन: 91- 11 – 49148610, 40391661, 40391663
ईमेल: info@vaniindia.org
वेबसाइट: www.vaniindia.org

@ टीमवाणी @ वाणी_इन्फो @ वाणी इंडिया @ वाणी पर्सपेक्टिव

मुद्रक:
श्रीबाला जी आर्टस प्रिन्टर
(sribalajiartsprinter@gmail.com)

सामग्री की सूची

प्रस्तावना ____ 2

संदर्भ ____ 3

सोशल फाइनेंस: एक उभरता संसाधन लाभ कोष ____ 6

सोशल स्टॉक एक्सचेंज: अंतर्राष्ट्रीय मॉडल ____ 14

भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज ____ 17

कार्यकारी कमेटी रिपोर्ट पर सुझाव ____ 21

संदर्भ ____ 24

प्रस्तावना

देश में लगभग 32 लाख गैर-सरकारी संस्थाएँ (एनजीओ) विभिन्न क्षेत्रों एवं विषयगत समस्याओ के माध्यम से विभिन्न चरणों में कार्यरत है। अब उनके लिए भविष्य आधारित लाभ संस्था के रूप में कार्य करने का समय है । किसी भी अन्य नवीन विचार की तरह, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के विषय में भी मिश्रित विचार प्राप्त होते है । लाभ उद्देश्य के कारण समाज कल्याण की भावना में कमी होने की चिंता व्यक्त की जाती हैं; मानव कल्याण के स्थान पर असमय प्रीमियम (लाभ) पर ध्यान अनुपालन के महत्व को अतिशयोक्ति करेगा। इस विषय में यह तर्क भी दिया जा सकता है कि कार्य नीति में यह बदलाव घटते हुए संसाधनो में सामाजिक क्षेत्र के लिए सोने का पिटारा खोल सकता है, जो उन मुद्दों को संबोधित करेगा जो मानव जाति को चुनौती देते रहे हैं। जैसे कि सभी के लिए शिक्षा और स्वस्थ्य तथा पर्यावरण स्थिरता आदि ।

इस नवीन विचार की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि प्रत्येक सहभागी के साथ तंत्र कितनी ईमानदारी से पेश आता है जिसमे छोटी गैर सरकारी संस्थाएँ (एनजीओ) भी शामिल है जो भारत के किसी आदिवासी गाँव में काम करती है ।

हम सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया द्वारा निर्धारित विशेषज्ञ समूह से आशा करते हैं कि वे भारत जैसे विस्तृत राष्ट्र के लिए ऐसी परिस्थिति में लचीला एवं उचित मिश्रण प्रदान करे ।

यह अध्ययन हमारे सदस्यों और स्वयं सेवी संस्थाओ को नए प्रयोग और उनके लिए इसकी उपयोगिता के बारे में सामान्य रूप से सूचित करने की दिशा में पहला कदम है। हम अपने सदस्यों को समयानुसार सूचित करते रहेंगे।

मैं इस पहल का समर्थन करने के लिए आईएम स्वीडिश डेवलपमेंट पार्टनर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।

हर्ष जेटली

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संदर्भ

सामाजिक क्षेत्र अलग-अलग संस्थाओं से युक्त एक छतरी के सामान है जो सरकार के साथ मिलकर सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में काम करता है। इनमें गैर-सरकारी संस्थाएँ और स्वयं सेवी संस्थाएँ शामिल हैं जो लाभ कमाने के मकसद से काम नहीं करती और ऐसे सामाजिक उद्यम भी हैं जो समाज कल्याण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ आय अर्जित करने वाले व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय से प्राप्त लाभ आमतौर पर निवेशकों के भुगतान के रूप में उपयोग नहीं होता है, बल्कि सामाजिक कार्यक्रमों में पुनर्निवेश किया जाता है।

भारत में अनुमानित 32 लाख गैर सरकारी संस्थाएँ हैं। जो विभिन्न सामाजिक विकास क्षेत्रों में काम करती हैं जिनमें गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छता, लैंगिक समानता, आजीविका, आपदा तैयारी और शमन आदि शामिल हैं। वे समाज के वंचित वर्गों के सम्मुख आने वाले मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि, समाज सेवा क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएँ अपने वास्तविक प्रभाव को कम आकलन करती हैं, वे संभवतः विकट वित्तीय परिस्थितियो और संस्थागत संसाधनो में कमी के उपरांत भी सेवा प्रदान करती हैं।

गैर सरकारी संस्थान क्षेत्र के प्रमुख वित्तीय स्रोतों में सरकार, विदेशी वित्त पोषण, कॉर्पोरेट, परोपकारी संस्थान और व्यक्ति विशेष शामिल हैं। सरकार सामाजिक क्षेत्र में विकास के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय बजट का पर्याप्त प्रतिशत आवंटित करती है। वर्ष 2014-15 से एनजीओ के लिए सरकारी अनुदान में वृद्धि हुई है - वर्ष 2014-15 में 3402 करोड़ रूपए, वर्ष 2015-16 में 3561 करोड़ रूपए और वर्ष 2016-17 में 5367 करोड़ रूपए आवंटित किये गए[1]। हालांकि, ये अनुदान एनजीओ दर्पण पोर्टल के तहत पंजीकृत संस्थाओ को दिए जाते हैं। वर्तमान में केवल 94,000 (अनुमानित संपूर्ण एनजीओ ब्रह्मांड का 2.9 प्रतिशत) पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जिसमे 97 प्रतिशत से अधिक गैर सरकारी संस्थाएँ ऐसी है जो सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं करती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय (विदेशी) सहायता भी धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्त पोषण में गिरावट आई है (2015-16 में 17,798.79 करोड़ रूपए से घटकर 2016-17 में 15,329.16 करोड़ रूपए तक), फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, 2010 के अधिनियमन कड़े होने और उसके संशोधन के बाद इसमें गिरावट आई है । नवंबर 2019 में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा, "2011 तक

एफसीआरए के तहत 40,000 से अधिक गैर सरकारी संस्थाएँ पंजीकृत थी, लेकिन 2014 में सरकार के कड़े मानदंडों के बाद संख्या लगभग आधी हो गई है"। भारत सरकार के एफसीआरए पोर्टल के अनुसार वर्तमान में 22,427 एफसीआरए पंजीकृत संस्थाएँ[2] (अनुमानित संपूर्ण एनजीओ ब्रह्मांड का 0.7 प्रतिशत) रह गई हैं।

गैर सरकारी संस्थाओ के लिए धन का एक और उभरता हुआ स्रोत व्यक्ति विशेष और उच्च आय वाले व्यक्ति हैं। 2013-14 में 369 करोड़ रूपए से बढ़कर 2016-17 में 461 करोड़ रूपए तक व्यक्तिगत समर्थकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। हालांकि, यह एक ज्ञात तथ्य है कि व्यक्तियों से धन जुटाना मेहनत का कार्य है और इसमें उच्च प्रशासनिक लागत शामिल होती है, इसलिए कई छोटे और जमीनी स्तर की संस्थाओ के लिए यह बहुत अच्छा विकल्प नहीं हैं।

बेन एंड दसरा कंपनी द्वारा प्रकाशित इंडिया फिलांथ्रोपी 2019 रिपोर्ट, "एम्ब्रॉसिंग दी फील्ड एप्रोच टू अचीव इंडिआस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स", के अनुसार व्यक्तियों द्वारा परोपकारी योगदान (विशेष रूप से कुछ लोकप्रिय व्यक्तियों) एक सुवर्ण अवसर के रूप में देखा जाता है, जो कि कुल निजी धन का लगभग 60% है । हालांकि, ये बड़े पैमाने पर विषय, भौगोलिक स्थिति के प्रभाव से प्रभावित होते हैं, और इस तरह से दूरदराज और कम-उन्नत क्षेत्रों में काम करने वाले कई छोटे और जमीनी स्तर की संस्थाएँ इस अवसर से वंचित रहती हैं।

सीएसआर जनादेश की परिकल्पना गैर सरकारी संस्थाओ के वित्त पोषण में एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो अंतरराष्ट्रीय वित्त योगदान में आई गिरावट को पूरा करने में सहायता करता है । हालाँकि, सीएसआर अधिनियम, 2013 को लागू हुए छह साल से अधिक हो गए हैं, परन्तु यह अभी भी सामाजिक क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने पर धन राशि के अंतराल को कम करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (वेबसाइट-www.csr.gov.in) के अनुसार, सीएसआर पर लगभग 71,278.42 करोड़ रूपए (वित्त वर्ष 2014-15 और वित्त वर्ष 2018-19 के बीच)[3] कुल खर्च किये गए है। हालाँकि, 2019 के उत्तरार्ध में स्वयं सेवी संस्थाओ के लिए सीएसआर की स्थिति पर वाणी द्वारा किए गए एक सांकेतिक अध्ययन से पता चलता है कि सीएसआर वित्त के लिए आवेदन करने वाले छोटे और जमीनी स्तर के संगठनों में से केवल 18% को ही वित्त पोषण प्राप्त होता हैं, शेष 82% एक कारण या दूसरे कारण से अवसर खो देते है । कॉर्पोरेट फंडिंग के लिए कॉर्पोरेट द्वारा सूचीबद्ध बाधाओं में विश्वसनीय गैर सरकारी संगठनों के बारे में जानकारी की उपलब्धता में कमी, सामाजिक क्षेत्र की प्रबंधकीय और संगठनात्मक

क्षमताओं में अंतर, कुछ कार्यों को करने और विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'नए कौशल की कमी', सीएसआर भागीदारों द्वारा परियोजनाओं के पहले और बाद के फंडिंग चरणों के निर्धारण में कमी, मजबूत "व्यवसाय अध्ययन" के उचित प्रस्ताव की अनुपस्थिति आदि शामिल है।

ऊपर दिया गया निष्कर्ष यह दर्शाता है कि पारंपरिक स्रोतों से सामान्य, छोटे और जमीनी स्तर की संस्थाओ के लिए धन के अवसर दिन पर दिन घटते जा रहे हैं। इसलिए, वित्त जुटाने के नए विकल्पों का पता लगाने के क्षेत्र में काम करने की तत्काल आवश्यकता है।

पिछले दस वर्षों में, भारत में सामाजिक विकास परियोजनाओं क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक उद्यमों में सोशल फाइनेंस के माध्यम से सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करके उनकी संभावित आय में वृद्धि हुई है। केपीएमजी रिपोर्ट[4] के अनुसार पिछले एक दशक में निवेश में वृद्धि दर्ज की गई है और 2010 से 2016 के बीच इस तरह के उपक्रमों में 500 करोड़ (5 बिलियन) अमरीकी डालर से अधिक का निवेश किया गया है। मेजेनाइन ऋण, इक्विटी अनुदान, गारंटी मोड के माध्यम से निवेश होता है। कुछ निवेश इम्पैक्ट बोंड्स के रूप में भी किए जाते हैं। हाल ही में जब तक बाजार आला रहा, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ने इसके दायरे का विस्तार करने और गैर लाभकारी संगठनों को इसमें सम्मिलित करने की पहल की । इस मॉडल का प्राथमिक उद्देश्य सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अवसरों की पहचान करना और दोनों लाभ आधारित संस्थाओ एवं गैर लाभकारी संस्थाओ को निवेशको के साथ विशेष उद्देश्य आधारित परियोजनाओं के साथ जोड़ना है। ऐसे उपक्रम सामाजिक क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाये जाते है ताकि वे दोनों दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन विकास लक्ष्यो को प्राप्त कर सके, जैसे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)। इसी के साथ यह प्रायोजकों और सीएसआर भागीदारों को समाज को प्रभावित करने और सामाजिक लाभ की प्राप्ति के लिए नए अवसरो को सक्षम बनाता है ।

यह दस्तावेज़ भारत में जमीनी स्तर की स्वयं सेवी संस्थाओ को इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट्स और सोशल स्टॉक एक्सचेंज के सिद्धांत के बारे में जानकारी देने एवं हाल ही के घटनाक्रमों से परिचित कराने और भारत में उनका संचालन विवरण देने का एक प्रयास है।

सोशल फाइनेंस: एक उभरता संसाधन लाभ कोष

ग्लोबल इंपैक्ट इनवेस्टिंग नेटवर्क (जीआईआईएन), एक संगठन है जो निवेश को प्रभावित करने वाले प्रभावों के पैमाने और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए समर्पित है, यह सोशल फाइनेंस को, "कंपनियों, संगठनों में किए गए निवेश, और वित्तीय रिटर्न के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया गया निवेश" के रूप में परिभाषित करता है । इन्हे इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट या शेयर्ड कैपिटल (साझा पूंजी) के रूप में भी संबोधित किया जाता है, इन निवेशों का उद्देश्य दुनिया की सबसे जटिल सामाजिक और पर्यावरण चुनौतियों के लिए कार्य करना एवं कम उन्नत क्षेत्रों में पूंजी प्रदान करना है। सोशल फाइनेंस समाज कल्याण के लिए एक उत्पाद के रूप में बाजार निर्माण करने का तरीका है। उपरोक्त कार्य को पूरा करने के लिए, विभिन्न प्रतिभागियों को एक सहभागिता मंच यानी सोशल स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता होती है।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज

सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो सामाजिक व्यवसायों, उद्यमों और गैर सरकारी संस्थाओ को बढ़ाने के लिए पूंजी लगाता है ताकि सामाजिक क्षेत्र निवेशकों को उनके बाजार में निवेश करने की सुविधा मिल सके। एसएसई का उद्देश्य एक वाणिज्य स्टॉक एक्सचेंज से अलग है, इसके संचालन सिद्धांत भी अलग हैं। । उदाहरण के लिए, वाणिज्य स्टॉक एक्सचेंज में प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय आदान-प्रदान और कॉर्पोरेट प्रशासन के मानदंडों का अनुपालन महत्वपूर्ण होता है जबकि एसएसई में सामाजिक निष्ठा महत्वपूर्ण है।

एसएसई मॉडल के कर्ता

सोशल फाइनेंस मॉडल में निम्नलिखित कर्ता हैं:

क) इंपैक्ट इनवेस्टर्स

ख) बॉन्ड डिजाइनर और परियोजना कार्यान्वयनकर्ता

ग) सेवा प्रदाता

घ) लाभार्थी

ई) मूल्यांकनकर्ता

च) आउटकम पेयर्स

इंपैक्ट इनवेस्टर्स

इंपैक्ट इन्वेस्टर वह व्यक्ति है जो सामाजिक क्षेत्र के व्यवसायों, उद्यमों, शेयरों, फंड, इक्विटी या डिबेंचर में पूंजी निवेश करता हैं, न की लाभ संगठनों में। निवेशक वित्तीय लाभ पर सामाजिक प्रभाव को प्राथमिकता देता हैं या फिर इसके विपरीत। यह उनके मूल्यों एवं विश्वास पर निर्भर करता हैं। निवेश को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में जोखिम, अपेक्षित रिटर्न, संगठन के मिशन, नियम आदि शामिल हैं।

बॉन्ड डिजाइनर और परियोजना कार्यान्वयनकर्ता

ये कार्यक्रम प्रबंधक या मध्यस्थ समूह हैं जो हितधारकों के साथ सहभागिता, रचना और परियोजना को लागू करते हैं। वे सर्वोत्तम अनुकूल वित्त साधनों के बारे में निवेशकों को सलाह देने, साझेदारी बनाने और मिश्रित वित्त तंत्र को लागू करने के साथ नई सेवा श्रेणी प्रदान करते हैं। वे वित्त प्रबंधन में भी सहयोग करते हैं, जिसमें वे इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट (प्रभाव निवेश) में पूंजी का सह-प्रबंधन करते हैं। कई बार, वे आकर्षक वित्तीय प्रतिफल के साथ सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव प्रदान करने वाली कंपनियों में सीधे निवेश करते हैं।

सेवा प्रदाता

सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाताओं का समूह सामाजिक परिणामों को लचीले तरीके से वितरित करने का काम करता है, जो आउटकम पेयर्स द्वारा परिभाषित नहीं किया जाता । सामाजिक उद्यम या गैर लाभकारी संस्थाएँ जिन्हे संचालन के लिए इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त होता है उन्हें सेवा प्रदाता के रूप में संदर्भित किया जाता है। व्यवसाय तंत्र का मुख्य उद्देश्य एक सकारात्मक सामाजिक प्रभाव या सामाजिक परिवर्तन लाना है।

लाभार्थी

सोशल फाइनेंस लाभार्थी वे हैं जिन्हे इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट द्वारा बेहतर अवसर प्रदान किये जाते है। वे समाज के कमजोर वर्ग होते हैं इसलिए एसएसई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन लेनदेन व्यवहार से लाभार्थियों को असुरक्षा न हो या उनका शोषण न हो।

मूल्यांकनकर्ता

एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता कार्यक्रम के परिणामों का आकलन करता है। मूल्यांकनकर्ता नियोजित हस्तक्षेपों के इच्छित और अपेक्षित सामाजिक परिणामों की समीक्षा करता है। ये परिणाम प्रकृति के लिए लाभकारी या प्रतिकूल दोनों हो सकते हैं, जो समुदायों पर हुए उनके प्रभावों को दर्शाते हैं।

आउटकम पेयर्स

आउटकम पेयर्स संस्था या सरकारी एजेंसी होती है, जो विशिष्ट या औसत सामाजिक परिणामों के भुगतान के लिए अनुबंध करती है।

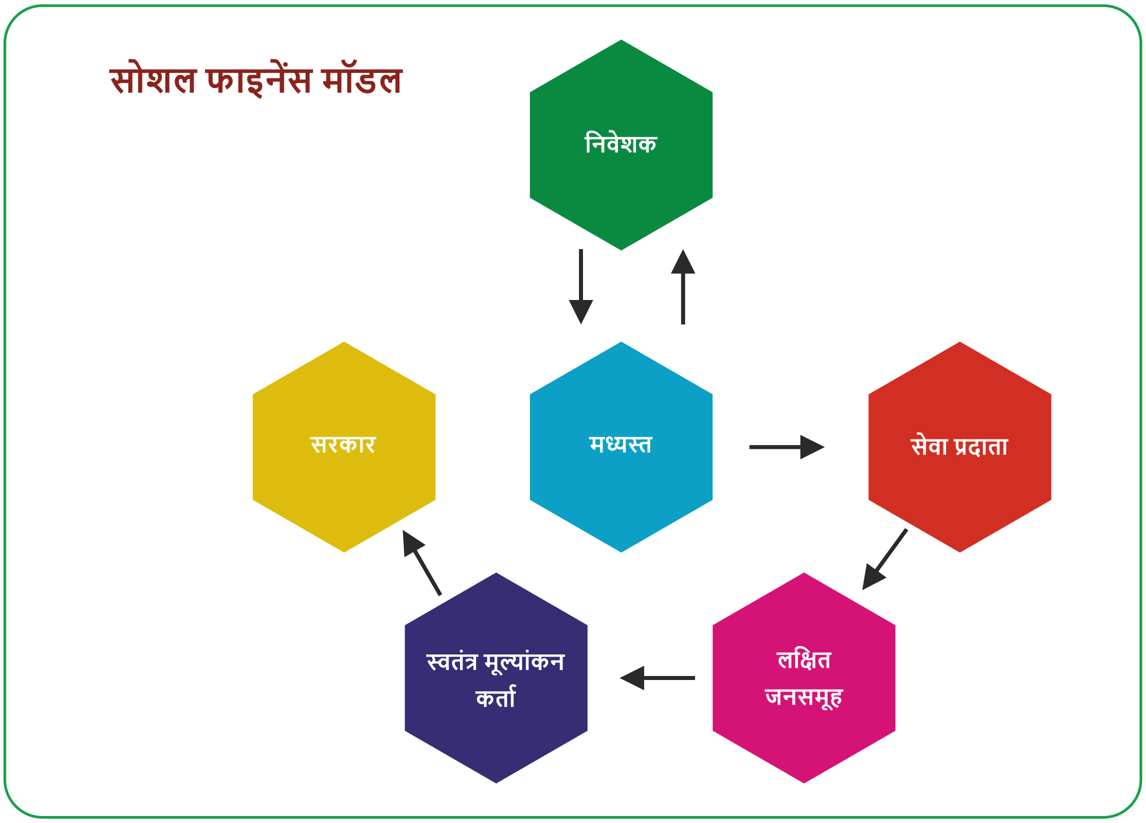

सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लाभ

एसएसई एक ऐसा मॉडल है जो विशुद्ध रूप से 'लाभ' और 'सामाजिक विकास' के बीच एक अच्छा संतुलन बनाते हुए सामाजिक उद्यमों को लाभ से जोड़ता है। इसके लाभ इस प्रकार हैं:-

- यह सामाजिक उद्यमियों / गैर लाभकारी संस्थाओ के लिए निःशुल्क बाज़ार है जो स्थायी परियोजनाओं और इच्छुक इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स के निवेश हितों को दर्शाता हैं।
- एसएसई इन्वेस्टर्स को उनके सम्बंधित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की जानकारी प्रदान करती है ।
- एसएसई स्वैच्छिक संगठनों का एक संग्रह है जो सामाजिक वित्तपोषण के लिए सोशल इन्वेस्टर्स (सामाजिक निवेशकों) को आकर्षित करने में मदद करती है- सामाजिक मुद्दों पर जनता को सूचित करना, विभिन्न संगठनों को एक मंच पर जुटाना जो निवेशकों की रुचि को व्यक्त करता है।
- एसएसई उद्योग पर जानकारी साझा करने के लिए संभावित जानकारी, इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र (अध्ययन, लेख, शब्दावली, सम्मेलनों, घटनाओं, आदि) पर जानकारी प्रदान करती है।
- एसएसई सामाजिक उद्यम और निवेशकों के लिए योग्यता मापदंड विकल्प प्रदान करती है जो इस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाते है ।
- एसएसई निवेश के सामाजिक मूल्य को बढ़ाती है और न केवल वित्तीय बल्कि निवेश के सामाजिक प्रभाव को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है।
- एसएसई निवेशकों के लिए सामाजिक परियोजनाओं की पारदर्शिता को बढ़ाकर सामाजिक उद्यम निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाती हैं। यह परियोजना के चुनाव, वित्तीय और प्रशासनिक लागतों को कम करके समय और लागत बचाने में भी मदद करती है।
- उद्यमियों और निवेशकों को नामांकन प्रक्रिया के विभिन्न भागों से अवगत कराने के लिए ऑडियो वीडियो के माध्यम से क्षमता निर्माण किया गया है ।सहकर्मी समूहों के बीच आदान-प्रदान के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी उपलब्ध है ।
- आपसी विश्वसनीयता और सामंजस्य के लिए नए और अधिक प्रभावित उपाय ।
- एसएसई सामाजिक उद्यमो के लिए निवेश के अवसर और संगठनों के स्थिर कामकाज को

सुनिश्चित करती हैं। यह उनकी सामाजिक गतिविधियों और कंपनी के मूल्य को बढ़ाता है, जो बदले में कंपनी की पहचान और रेटिंग बढ़ाने में मदद करता है।

- एसएसई सामाजिक उद्यमों में लोगो का विश्वास बढ़ाने के लिए संगठनों को स्थायी सुधार के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
- एसएसई सामाजिक व्यवसायों को वित्तपोषण का व्यवसायीकरण करने में मदद करती हैं ताकि वे संचालन को बड़े पैमाने पर कर सकें और अनुदान वित्तपोषण पर अपनी निर्भरता को कम कर सके ।
- एसएसई नियामक के रूप में मानक निर्धारण (स्टैण्डर्ड सेटिंग) प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे विभिन्न कार्यों को करते समय जवाबदेही के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश निर्धारित करती हैं।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज की चुनौतियां

एसएसई ढांचे में लाभ और समाज कल्याण के बीच संतुलन बनाना एक आंतरिक चुनौती है। एसएसई प्रक्रियाओं के अनुपालन से समाज कल्याण और इच्छुक निवेशकों को एक व्यवहार्य विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

- व्यावसायीकरण की ओर झुकाव के कारण मिशन का बहकाव:- चूंकि एसएसई एक सामाजिक-वित्तीय आधारित स्टॉक एक्सचेंज है, जो पारंपरिक स्टॉक एक्सचेंज से अलग है। ऐसे में सामाजिक मिशन के बहकाव की संभावना होती है जब निवेशक लाभ को सामाजिक मिशन से अधिक प्राथमिकता देते है। यह लाभार्थियों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है।
- अधिक वित्तीय लाभ कमाने वाली गतिविधियों पर सेवा प्रदाताओं के झुकाव की संभावना होती है।
- निवेशकों को लाभांश भुगतान एवं कर्मचारियों की आय वृद्धि के कारण लक्षित जनसमूह के लिए सामग्री वितरण और सेवा के विस्तार के मुख्य मिशन से ध्यान भटका सकता है।
- जब मौजूदा ढांचे के आधार पर एक नया ढांचा बनाया जाता है, तो सिस्टम को दोहराया जाता है ताकि निवेशक उससे परिचित हों। लेकिन, अधिकांश उपाय गुणवत्ता के बजाय मात्रा पर केंद्रित होते हैं और वे निवेश के प्रभाव को कम आंकते हैं। इससे किसी विशेष सामाजिक निवेश के सकारात्मक या नकारात्मक परिणामों को मापना मुश्किल होता है।

- इसके अलावा, मात्रा आधारित साधन लाभार्थियों के अनुभवो (उदाहरण के लिए सशक्तिकरण की भावना) को सामाजिक प्रभाव के रूप में मापने की सीमित क्षमता रखते है।
- इससे गलत परियोजनाओं का चयन हो सकता है जिससे मात्रा आधारित ढांचो के अंक गणना ज्यादा हो सकती है, जबकि वास्तव में लाभार्थियों पर सामाजिक प्रभाव कम होता है। जिससे सोशल फाइनेंसिंग का सम्पूर्ण उद्देश्य विफल हो जाता है।
- चूंकि एसएसई वाणिज्य स्टॉक एक्सचेंज तंत्र पर आधारित है, इसलिए लाभार्थी द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया का उचित आंकलन या उसकी उपेक्षा होने की संभावना होती है, निवेशक और जारीकर्ता पर प्राथमिक ध्यान केंद्रित होने की संभावना होती है।
- चूंकि एसएसई रिपोर्टिंग मापदंडों की विशेष प्रक्रिया को लागू नहीं करती, इससे जारीकर्ता मुश्किल में पड़ सकते हैं। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ऐसे मापदंडों को लागू किया जा सकता हैं जिन्हे आसानी से पूरा किया जा सके। इससे निवेशकों की लेनदेन लागत में वृद्धि हो सकती है, निवेशकों को निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त जानकारी जुटानी पड़ सकती है।

एक आदर्श सोशल स्टॉक एक्सचेंज की प्रमुख विशेषताएं

- निम्नलिखित मूलभूत मूल्यों को प्रत्येक एसएसई मिशन विवरण में शामिल किया जाना चाहिए:
  - ★ सामाजिक (और पर्यावरण) लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता;
  - ★ निवेश से प्रभावित लाभार्थियों या लक्षित जनसमूह का संरक्षण
  - ★ सामाजिक प्रभाव के लिए एक सुरक्षित और नियमित बाजार का निर्माण
- एसएसई को इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग बाजार का निर्माण करके पारंपरिक वित्त और सामाजिक क्षेत्रों को अलग करना चाहिए। एसएसई में लेन-देन के इच्छुक लोगों एवं संस्थाओं के लिए सूचीबद्धता और अन्य पहलुओं के लिए विशिष्ट मापदंड निम्नलिखित हैं:

  a) वित्तीय और सामाजिक रिपोर्टों का निर्माण;

  ख) सामाजिक वित्त से जुड़े लेनदेन को संचालित करने के लिए नियमों और मानकों का निर्माण और कार्यान्वयन;

  ग) सभी नियमों को लागू करने के लिए तंत्र की स्थापना करना जो सूची से हटाने के निर्देश और सुलभ शिकायत निवारण तंत्र के साथ हो;

- मिशन के बहकाव या कमजोर पड़ने की घटनाओं को रोकने के लिए तंत्र तैयार करने चाहिए; सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से सामाजिक समाधानों और व्यावसायिक मुद्दों को नियमित करना होगा।
- एसएसई को निवेशकों के चयन तंत्र की बहुत सावधानी से रचना और संचालन करना चाहिए क्योंकि थोड़े निवेशक ही सकारात्मक सामाजिक प्रभाव के लिए निवेश करते हैं, इसकी कम संभावना होती है कि वे सामाजिक मिशन में निवेशकों को सहयोग करे । इसके अतिरिक्त, कुछ निवेशक ही सकारात्मक सामाजिक परिणामों की परवाह करते हैं, जबकि इसकी अधिक संभावना होती है कि निवेशको पर लाभ की प्राथमिकता के लिए दबाव बनाया जाये । ये दोनों ही पस्थितियाँ समस्या पूर्ण हैं क्योंकि वे लाभार्थियों को नुकसान पहुँचा सकती हैं।
- एसएसई को एक सीमा तक स्व-नियमन किया जा सकता है जिससे वे सूचीबद्ध व्यवसायों एवं निवेशकों के लिए अवसरों और सीमाओं को नियंत्रित कर सके ।
- एसएसई को सूचीबद्धता, संचालन, स्पष्टीकरण की आवश्यकताओं और बाध्य नियमो या सूची से हटाने के तंत्र को इस तरह विकसित करना चाहिए कि वे मिशन के धीमे होने पर नियम लागू कर सके और जारीकर्ताओं एवं लाभार्थी के हित संरक्षण को सुनिश्चित कर सके ।
- एसएसई को सामाजिक स्थानो पर मानकों, नियमों या उपायों को लागू करने के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जो आसानी से तुलनीय हो। एक वर्णनात्मक रिपोर्टिंग तंत्र के साथ प्रतिबद्धताओं और निर्देशों आधारित मात्रात्मक ढांचो ka आंकलन लाभकारी हितों को दर्शाने में प्रभावी साबित हो सकता है।
- एसएसई को आचरण सहिता स्पष्ट करने के लिए एक ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है जो सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा सामाजिक उल्लंघन और उससे जुड़े बाध्य उपकरणों की रचना करता है। इसे सेवा प्रदाताओं से अपेक्षित सामाजिक प्रतिबद्धताओं को परिभाषित करना चाहिए और व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से उन प्रतिबद्धताओं में अंतर की पहचान करनी चाहिए।
- एसएसई द्वारा संस्थाओं को एसएसई प्लेटफार्म से निष्कासन के बारे में स्पष्ट औचित्य प्रदान करना चाहिए और साथ ही शिकायत और इसके निवारण / पावती के लिए हितधारकों के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए ।
- एसएसई को जारीकर्ताओं की सामाजिक निष्ठां संबंधित जानकारी एकत्र और नियंत्रित करनी चाहिए जिसमें उनकी संचालन प्रक्रिया शामिल हो । जारीकर्ताओं के पास लाभार्थियों

से प्रतिक्रिया लेने के लिए प्रणाली होनी चाहिए जो सूचीकरण और प्रशासन की आवश्यकताओं को आधार प्रदान करे ताकि सामाजिक प्रभावों को घटाने वाले व्यवसायीकरण को सीमित किया जा सके।

- एसएसई को संचालन समिति के कौशल और साख का आकलन करके संचालन को प्रोत्साहित करना चाहिए। लाभार्थी / शेयरधारक या व्यक्ति विशेष जो वरिष्ठ प्रबंधन (निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के साथ) समिति में हो, कमजोर जनता के सामाजिक बदलाव के लिए संस्था के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। यह संस्था के हितकारी दृष्टिकोण को दर्शाने के कुछ तरीके होते हैं। एसएसई जारीकर्ताओं को मिशन-रक्षक दायित्वों और उन आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान कर सकती है।
- एसएसई को जारीकर्ताओं को नियमित रूप से लाभार्थियों की प्रतिक्रिया लेने के लिए प्रणाली परिभाषित करनी चाहिए।
- एसएसई वित्त पर प्रभाव को प्राथमिकता देने के लिए डील कैप लगाकर व्यावसायीकरण में बाधा उत्पन्न कर सकती है और फंडिंग को बढ़ाने के लिए धैर्यवान निवेशको को प्रोत्साहित करने पर विचार कर सकती है।
- एसएसई को जारीकर्ता और निवेशक आचरण को नियमित करने के लिए मौजूदा वाणिज्य स्टॉक एक्सचेंजों की बाध्य व्यवस्था के ढांचे को बेहतर बनाना चाहिए। जारीकर्ता और निवेशकों के बीच अनुबंध समझौते जिसमे दुर्व्यवहार, सूची से निकलना, सूची से निकलने के कारण और प्लेटफ़ॉर्म के प्रयोग को रद्द करना और मुद्रा क्षति शामिल होने चाहिए। जब तक सामाजिक दायित्वों को स्पष्ट रूप से बताया नहीं जाता, तब तक यह जानना मुश्किल होगा कि उनका उल्लंघन किया गया है।
- एसएसई त्रिमुखी जवाबदेही तंत्र बना सकती है। अनुचित आचरण से संबंधित मामलों पर निवेशकों, जारीकर्ताओं और लाभार्थियों के विरूद्ध शिकायतें दर्ज करने के लिए एक मजबूत शिकायत तंत्र होना चाहिए।
- सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सुधार के लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए एसएसई की वास्तविक सफलता का आकलन किया जाना चाहिए।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज: अंतर्राष्ट्रीय मॉडल

सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर पहला प्रयोग ब्राज़ील में किया गया था जहाँ बोवेस्पा गैर-सरकारी संस्था को विभिन्न सामाजिक उद्देश्यों के लिए अनुदान के रूप में मिले धन के कुशल उपयोग से जुड़े मुद्दों और समस्याओ से निपटने के लिए उचित दृष्टिकोण की कमी से जूझ रही थी। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रिया, कनाडा, इंग्लैंड, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य प्रयोग मुख्यत: एक ऐसा मंच बनाने की तर्ज पर थे, जो सामाजिक उद्यमों के लिए व्यावसायिक उद्यमों को आकर्षित करने की दक्षता, पारदर्शिता, नैतिकता और व्यवहार को संयुक्त करता है। ऐसी पूंजी जिसका मौद्रिक उद्देश्य लाभ कामना नहीं था। इन सभी देशो की जरूरतों के आधार पर बुनियादी तंत्र में भिन्नताएं थीं।

ब्राज़ील की बोलसा डे वलोरेस सोशियस (बीवीएसए) 2003 में स्थापित विश्व की पहली सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन सहित ब्राज़ील की सामाजिक समस्याओं को हल करना है। यह मॉडल संयुक्त राष्ट्र में एक केस स्टडी (अध्यन) बन गया और संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान द्वारा सभी स्टॉक एक्सचेंज के लिए प्रस्तावित किया गया । ब्राजील स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्लेटफार्म की विशेषज्ञता, नियमों और उपकरणों का उपयोग निवेश, मैच-मेकिंग और क्राउड-फंडिंग के लिए होता है। कार्यस्थल पर निरीक्षण आयोजित करके सामाजिक उद्यमों के व्यावसायिक तंत्र का मूल्यांकन किया जाता है। इस मॉडल में, निवेशक सामाजिक उद्यम और गैर-सरकारी संस्थाए "सामाजिक इक्विटी इकाइयाँ" खरीदते हैं और रिटर्न के आधार पर सामाजिक उद्यमों और गैर-सरकारी संस्थाओ का मूल्यांकन भी करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य वित्तीय लाभ कमाना नहीं है। एसएसई स्थानीय समुदायों द्वारा विकसित और समर्थित परियोजनाओं का पक्ष करती है। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, और पर्यावरण के क्षेत्र में सामाजिक उद्यमों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से कार्य करती हैं। एसएसई निवेशकों को सामाजिक उद्यमों और गैर सरकारी संस्थाओ की एक विश्वसनीय और प्रमाणित निवेश सूची (पोर्टफोलियो) प्रदान करती है।

साउथ अफ्रीकन सोशल इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज (एसएएसआईएक्स) जून 2006 में आया और ब्राजील के बाद दूसरा एसएसई था। यह सामाजिक विकास परियोजनाओं में निवेश की सुविधा

के लिए अनुसंधान, मूल्यांकन और मैच-मेकिंग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह निवेश रिटर्न के लिए दृष्टिकोण, स्थिरता और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के तरीकों को परिभाषित करने की रणनीति पर आधारित हैं। सूचीबद्ध होने के लिए संस्थाओं को एसएएसआईएक्स के उचित अभ्यास मापदंडों का अनुपालन और औसत सामाजिक प्रभाव प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जवाबदेही और पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। गैर सरकारी संस्थाएँ एक्सचेंज पर अपनी सामाजिक परियोजनाओं को सूचीबद्ध कर सकती हैं। परियोजनाओं के मूल्य का आकलन किया जाता है और फिर उन्हें शेयरों में विभाजित किया जाता है। निवेशक क्षेत्र या प्रांत के आधार पर सूचीबद्ध सामाजिक उद्यमों के शेयरों को खरीद सकते हैं। परियोजना के कार्यान्वयन के बाद, निवेशकों को वित्तीय और सामाजिक रिपोर्ट दी जाती है। इन क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा और कृषि, लघु व्यवसाय विकास, पशु संरक्षण, कमजोर वर्ग, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल हैं। इन क्षेत्रों में सरकारी सहायता के बाद भी विकास नहीं हो रहा है। एसएएसआईएक्स मंच की सफलता के कारण फेडरेशन ऑफ़ कंट्री एक्सचैंजेस (जीएसआईएक्स) और ग्लोबल सोशल इनवेस्टमेंट एक्सचेंज का 2008 में विकास किया गया।

ऑस्ट्रियन सोशल स्टॉक एक्सचेंज (आईएमएफएनओ) एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य निवेशकों को प्रभाव निवेश के अवसरों से जोड़ना है, जो उनके सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) से सम्बंधित हो। इसे ग्लोबल इम्पैक्ट इनवेस्टिंग वियना एक्सचेंज भी कहा जाता है। यह अध्यन, लेख, शब्दावली, सम्मेलन और घटनाओं के माध्यम से निवेश पर प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह उद्यमियों और प्रभावित निवेशकों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। वर्तमान में, यह मंच प्रभाव को मापने के लिए जीआईआईएन द्वारा विकसित एक स्व-निरीक्षण उपकरण का उपयोग करता है। हालांकि, आईएमएफएनओ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर आधारित नए मूल्यांकन मानक पर काम कर रहा है।

कैनेडियन सोशल स्टॉक एक्सचेंज 2013 में सोशल वेंचर कनेक्सीएन के रूप में सामने आया था। इसे ओंटारियो सरकार द्वारा समर्थन मिला और यह लगभग स्टॉक एक्सचेंज की तरह कार्य करता था। एसवीएक्स क्राउड-फंडिंग और प्रत्यक्ष प्लेसमेंट का उपयोग करके प्रभाव उद्यमों के लिए पूंजी जुटाता है। पहले केवल "मान्यता प्राप्त निवेशक" प्रत्यक्ष निवेश कर सकते थे ।

हालांकि, 2016 में कैनेडियन नियमो में बदलाव हुआ, जिससे किसी को भी भाग लेने की अनुमति मिली। इस प्रकार एसएसई के पास एक ऐसा मंच है जो सामाजिक उद्यमों, निवेशकों और सेवा प्रदाताओं को जोड़ता है। इस मंच पर सामाजिक उद्यमों के लिए पंजीकरण आसान है और सामाजिक एवं पर्यावरण प्रभाव का आकलन करने के लिए बी- कॉर्पोरेट द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानकों को लागू करता है।

यूके सोशल स्टॉक एक्सचेंज 2013 में स्थापित किया गया था। इस मॉडल का मुख्य आकर्षण वाणिज्य और सामाजिक नीति के बीच संतुलन बनाना था। इसके पास एक मजबूत अनुसंधान आधार है जो भावी निवेशकों को आसानी से सुलभ और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करता है। यह मंच सामाजिक उद्यमों को पूंजी आवंटन या पूंजी जुटाने के माध्यम से संसाधन जुटाने के अवसर प्रदान करता है। यह संभावित निवेशकों के लिए अनुसंधान भी करता है। इसका दृष्टिकोण समावेशी और लचीला है क्योंकि सामाजिक उद्यमों के लिए सामाजिक उद्देश्य ही मूल है न कि उनके प्राथमिक उद्देश्य।

सिंगापुर सोशल स्टॉक एक्सचेंज 2012-13 में रॉकफेलर फंड और मॉरीशस के स्टॉक एक्सचेंज के समर्थन के साथ इम्पैक्ट एक्सचेंज (IX) के रूप में सामने आया। यह एकमात्र सार्वजनिक एसएसई है और एक स्वतंत्र प्रभाव विनिमय मंच है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग दोनों लाभकारी संगठन और गैर लाभकारी संगठन कर सकते है। गैर सरकारी संस्थानों को धन जुटाने के लिए ऋण प्रतिभूतियों जैसे बांड जारी करने की अनुमति है। हालांकि जहां तक मूल्य निर्धारण (रेटिंग) का संबंध है यह ढांचा (मॉडल) वाणिज्य स्टॉक एक्सचेंज से मिलता जुलता है, क्योंकि स्वतंत्र मूल्य निर्धारण करने के लिए इसे निवेशकों और सामाजिक उद्यमों से मूल्य निर्धारण करना आवश्यक है।

यूएस के पास पूर्ण रूप से संचालित सोशल स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। हालांकि, व्यवसायिक कंपनियां है जो सम्बद्ध और उचित परिश्रम को विकसित करने और अंतिम रूप देने के लिए सूचना पोर्टल प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्य अमेरिका में 'सामाजिक प्रभाव' के लिए स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के बारे में सोच रहे हैं।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज शायद एक शानदार सफल प्रयास नहीं हो, लेकिन युवा कल्याण, शिक्षा, पर्यावरण, कृषि और स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों में कमजोर जनसमुदायों को सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है।

भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज

भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के विचार का उदगम केंद्रीय वित्त मंत्री की घोषणा के बाद बहस और दिलचस्पी के साथ सितंबर 2019 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (सेबी) द्वारा एक आगामी कार्यकारी समूह के गठन के साथ हुआ। हालांकि, इससे पहले भारत में कुछ प्रयोग आयोजित किए गए थे। 2015 में राजस्थान में लड़कियों को शिक्षित करने के लिए एक परियोजना के साथ इसकी शुरुआत हुई। इस परियोजना ने 18,000 बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और सामाजिक निवेशको को अपनी निवेशित पूंजी पर पंद्रह प्रतिशत रिटर्न दिया गया। दूसरा प्रयोग 2017 में राजस्थान में मातृ स्वास्थ्य क्षेत्र में किया गया। जिसमे दो लाख से अधिक बच्चों की शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में 2018 में शिक्षा के क्षेत्र में एक और प्रयोग किया गया।

हाल ही में हुए परिवर्तन

केंद्रीय वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 5 जुलाई, 2019 को कहा, "यह समय हमारे पूंजी बाजार के व्यापक विकास और वित्तीय समावेश के लिए आम जनता और आर्थिक कल्याण उद्देश्यों को मिलाने का है। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक धन उपार्जन मंच निर्माण की दिशा में कदम उठाने का प्रस्ताव रखती हूँ - सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के तहत सामाजिक उद्यम और सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए एक सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज का प्रस्ताव रखती हूँ ताकि वे इक्विटी, डेब्ट या म्यूचुअल फंड जैसी इकाइयों के रूप में पूंजी को बढ़ा सकें।"

सितंबर 2019 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) द्वारा एक 14 सदस्यीय कार्यकारी समूह का गठन किया गया था जो निम्नलिखित की समीक्षा और सिफारिश करता है:

- सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा धन जुटाने की सुविधा के लिए प्रतिभूति बाजार (सिक्योरिटी मार्किट) क्षेत्र के भीतर संभावित संरचनाएं और तंत्र विकसित किये जाये।

- भागीदारी, प्रकटीकरण, सूचीबद्धता, व्यापार, निरीक्षण और योग्यता मापदंडों से संबंधित मुद्दों के लिए एक नियामक ढांचा बनाना।

कार्यकारी समूह ने जून, 2020 की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट सेबी को सौंप दी। पहली नज़र में यह रिपोर्ट दुनिया के अन्य हिस्सों में संचालित प्रतिरूपो से अद्वितीय प्रतीत होती है, क्योंकि यह एक एकीकृत इको-सिस्टम प्रदान करती है दोनों 'लाभकारी संगठन' और 'गैर लाभकारी संगठन' (एनपीओ) के लिए एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करती है। रिपोर्ट की शुरुआती टिपण्णी में, कार्यकारी समूह के अध्यक्ष, श्री इशात हुसैन कहते हैं, "भारत की आर्थिक आवश्यकता एक अरब से अधिक लोगो के लिए खाद्य सामग्री, वस्त्र, शिक्षा एवं सशक्तिकरण सुविधाएं इस प्रकार प्रदान करना है ताकि वे प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत का संरक्षण और विकास कर सके ! अकेले पारंपरिक वाणिज्य पूंजी के बल पर इस उच्च उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा संभव होता, तो भारत उन 30 लाख से अधिक गैर-लाभकारी संगठनों का घर नहीं होता, जो सैकड़ों लाखों भारतीयों के लिए क्षमताओं के अंतर को मिटाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इन गैर-लाभकारी संगठनों को अपने निष्ठावान प्रयासों को जारी रखने और उन्हें बढ़ाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करना आवश्यक है"।

रिपोर्ट में व्यापक रूप से पता चलता है i) गैर-लाभकारी संगठनों के धन उपार्जन के लिए नए उपकरणों का निर्माण और मौजूदा उपकरणों का विस्तार [जिसमें ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स (डोनेशन सर्टिफिकेट्स), सोशल वेंचर फंड्स (मिश्रित वित्त - कई दानदाताओं का अनुदान कोष) और म्यूचुअल फ़ंड (ब्याज का अनुदान या सामाजिक कार्यो के लिए रिटर्न्स)]; ii) स्व-नियामक संगठनों (एसआरओ), सूचना रिपोजिटरी (आईआरएस) और क्षमता निर्माण इकाइयों जैसी संरचनाओं की स्थापना; iii) कर लाभ iv) गैर-लाभकारी संगठनों के लिए सहायक नियामक स्पष्टीकरण।

कार्यकारी समूह के कुछ प्रमुख सुझाव नीचे सूचीबद्ध हैं:

- ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल बांड का आरम्भ
- सक्रिय (मेनस्ट्रीम) फ़ंडिंग ढाँचे की उपलब्धता (सोशल वेंचर फ़ंड्स और म्यूचुअल फ़ंड्स)

लाभकारी संगठनों के लिए नहीं

- एक नए ईको सिस्टम का निर्माण [स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) डेटा बैंक के रूप में सूचना भंडार को एक साथ लाने के लिए (आईआर); प्रभाव रिपोर्टिंग सत्यापन के लिए सामाजिक लेखा परीक्षक]
- सामाजिक प्रभाव, संचालन और वित्तीय क्षेत्र के लिए सामान्य न्यूनतम रिपोर्टिंग मानकों को लागू करना (बाद में आईआर + भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा विकसित किया जाना है)
- एनपीओ [सीएसआर के माध्यम से योगदान] के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना

राजकोषीय लाभ

दाताओं के लिए

- नई कर संरचना में 80 जी की अवधारणा
- परोपकारी दाताओं को 100% कर में छूट
- सभी निवेश सूचीबद्ध एनपीओ के प्रतिभूतियों / उपकरणों में कर छूट
- कॉर्पोरेट को अपनी कर योग्य आय से सीएसआर व्यय में कटौती। (वर्तमान में केवल ग्रामीण विकास, कौशल विकास, कृषि विस्तार परियोजनाओं पर खर्च करने वाली कंपनियों के लिए उपलब्ध)
- 10% कैप (परोपकारी अनुदान में बाधा) को हटाने से लाभार्थियों को दान के लिए 80 जी के तहत कर छूट में पात्रता।
- पहली बार निवेश करने वाले खुदरा निवेशक अपने निवेश पर 100% की कर छूट प्राप्त कर सकते है (1 लाख रूपए तक)

गैर लाभकारी संगठनों के लिए

- सामाजिक और वित्तीय विवरण देने वाले गैर लाभकारी संगठनों के लिए 12A, 12AA और 80G प्रमाणपत्रों की तीव्र जांच
- 80 जी पंजीकरण के नवीनीकरण के समय पुन: मूल्यांकन किया जाये । [पंजीकरण के समय पात्रता का आकलन किया जाये। समय-समय पर समीक्षा से प्रशासनिक लागत की तुलना में नकली दान के कारण होने वाले राजस्व नुकसान का मूल्यांकन किया जाये]
- वाणिज्य या अर्ध-वाणिज्य गतिविधियों से धन जुटाने पर 20% से 50% तक की सीमा लगाई जाए
- सीएसआर और एफसीआरए विनियमों का उचित सामंजस्य

सीएसआर प्रतिबद्धताओं के लिए अनुदान गणना

- पारस्परिक कंपनी व्यापार द्वारा सीएसआर में किया गया खर्च
- धारा 135 में परिवर्तन [तीन साल के लिए एस्क्रौ खाते में पैसा निश्चित किया जाता है, इसका परिसमापन और अनुसूची VII की गतिविधियों के आधार पर खर्च]
- कार्यक्रम लागत में 10% अनुदान में वृद्धि की जानी चाहिए, जिसे सीएसआर द्वारा अनुसंधान व्यय के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि पूंजी निर्माण के लिए
- एफसीआर नियम, 2011 के अनुछेद 4 को स्पष्ट करें, ताकि विदेशी संस्थाएं एसएसई में सूचीबद्ध एसवीएफ में निवेश कर सकें।

भारत को सामाजिक क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अविकसित जनसंख्या के लिए यह मॉडल सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकता हैं। हालांकि, वास्तविक जांच करने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि छोटे संगठनों द्वारा कमजोर लोगो के हित में सकारात्मक कार्य किये जाए ।

कार्यकारी कमेटी रिपोर्ट पर सुझाव

वाणी ने "सीएसओ स्टॉक में जीवन लाने" के विषय पर 6 जुलाई को एक ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया, जो फरवरी 2020 की प्राथमिक बैठक की अनुसरणीय बैठक थी, जो समाज सेवी क्षेत्र का ध्यान इस विषय पर आकर्षित कर सके। तत्पश्चात, 9 जुलाई को सेंटर फॉर सोशल इंपैक्ट एंड फिलानथ्रॉपी के सहयोग से ओमिदयार ग्रुप द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, इन दोनो बैठकों में प्रतिभागियों द्वारा साझा किये गए सुझावों से निम्नलिखित तथ्य (जानकारी) तैयार किए गए हैं:

कार्यकारी समूह के सुझावों की सकारात्मकता:

- गैर-पारंपरिक वित्त जुटाने के लिए स्वयं सेवी संस्थाओ का इको सिस्टम निर्माण के लिए सराहना की गयी।
- व्यावसायिक क्षेत्र को लगता है कि कार्यकारी समूह को आधिकारिक समर्थन प्राप्त है, जिससे इस पहल को सफल बनाने में सरकार की रुचि होगी।
- पहले से ही संचालित एनएसई / बीएसई मॉडल से एसएसई के निर्माण का विचार इसे अनिवार्य विश्वसनीयता और समर्थन प्रदान करेगा
- यह उल्लेखनीय है कि दिए गए सुझाव मौजूदा तंत्र को कमजोर नहीं करते हैं, इसे व्यावसायिक क्षेत्र द्वारा सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है।
- यह फंडिंग के नए अवसरों का स्वागत करता है - जैसे कि सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स जिन्हे आजमाया जा चुका है और उनका परीक्षण किया जा चुका है। एसएसई के भीतर सामाजिक उद्यम फंड हो सके (जहां विदेशी संस्थाओ को भी एफसीआरए में निवेश करने का मौका मिले जिससे गैर-एफसीआरए पंजीकृत संगठनों को धन प्राप्त हो सके)।
- स्वयं सेवी संस्थाओ को अपने रिपोर्टिंग मानकों को मजबूत करने और प्रभाव, जवाबदेही और पारदर्शिता पर ध्यान देने का अवसर प्रदान करें।
- कार्य समूह द्वारा सुझाये गए राजकोषीय लाभ को समाज सेवी क्षेत्र द्वारा स्वीकार किया गया है।

- सीएसआर फंड द्वारा 100 करोड़ रूपए के बजट के साथ एक क्षमता निर्माण इकाई स्थापित करने का सुझाव दिया गया, जिसे सीएसआर खर्च माना जाएगा, इसका स्वयं सेवी संस्थाओ द्वारा स्वागत किया गया।
- व्यावसायिक क्षेत्र को लगता है कि इस पहल से सेवा समूह (एग्रीगेटर्स) को साथ लाएंगे जो समान क्षेत्रों में कार्यरत छोटे संगठनों की एक बड़ी संख्या को संचालित करेगा।

क्षेत्र द्वारा सेबी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया) को दिए गए सुझावों की सूची

उपर्युक्त सकारात्मकता के बावजूद, कार्य समूह रिपोर्ट में वर्तमान में दी जाने वाली सेवाओं के साथ स्वयं सेवी संस्थाओ प्रमुखों और प्रतिनिधियों द्वारा निम्नलिखित चिंताओं को उठाया गया:

- क्षेत्र को लगता है कि सुझावों का वर्तमान प्रारूप कंपनी धारा 8 पर केंद्रित होने की संभावना है और सोसायटी और ट्रस्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थाओं को बाहर कर सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत में अधिकांश स्वयं सेवी संस्थाएँ (सीएसओ) ट्रस्ट और सोसायटी के रूप में पंजीकृत हैं। इसलिए यहाँ सभी स्वयं सेवी संस्थाओ को शामिल करने की आवश्यकता है, चाहे उनका पंजीकरण कुछ भी हो।
- सेबी के साथ कार्य करने के लिए भारी लागत, नियामक वातावरण अथवा पैसे जुटाने के कारण क्षेत्र को यह संशय है कि एसएसई बड़े संगठनों के प्रति पक्षपाती हो सकती है और छोटे या मध्यम आकार के संगठनों के लिए उसकी उपलब्धता नहीं होगी। इस पहल का लाभ उठाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर की स्वयं सेवी संस्थाओ को सक्षम बनाने के लिए सुगम तंत्र की आवश्यकता है।
- सेबी-स्वयं सेवी संस्थाओ और सीएसओ-स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग के लिए मंच संरचना पर स्पष्टता आवश्यक है।
- स्वयं सेवी संस्थाएँ इस बात से आशंकित हैं कि प्रस्तावित तंत्र सामाजिक क्षेत्र के 'निगमीकरण' का कारण बन सकता है। इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि एसएसई मिशन बहकाव को कैसे रोक सकती है (सामाजिक कल्याण से ध्यान हटकर निवेश रिटर्न की ओर ध्यान केंद्रित होना), इस चिंता से निपटने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए।

- स्वयं सेवी संस्थाए मानती हैं कि एसएसई उन संगठनों के प्रति पक्षपाती हो सकता है जो उन क्षेत्रों और प्रभावों पर काम करते हैं जिन्हें मापा जा सकता है। हालाँकि, यह उन संगठनों के लिए एक अनुकूल विकल्प नहीं होगा जो पक्ष समर्थन जैसे विषयों पर काम कर रहे हैं, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जहां सेवा वितरण गतिविधियों के मामले में परिणामो को मापा नहीं जा सकता है। ऐसे संगठन और उपरोक्त हस्तक्षेपों के लिए एसएसई को मूल्यांकन संकेतक तैयार करने चाहिए ।
- एसएसई तंत्र में एक कमी है, किसी विशिष्ट परियोजना के अतिरिक्त स्वयं सेवी संस्थाओ को अप्रतिबंधित धन उपलब्ध नहीं होता। संचालन ढांचे को विकसित करते समय यह तथ्यपूर्ण हो सकता है।
- कार्यशील समूहों द्वारा सुझाए गए राजकोषीय लाभ एसएसई द्वारा सूचीबद्ध संगठनों से अधिक होने चाहिए और सभी स्वयं सेवी संस्थाओ पर लागू होने चाहिए ।
- क्षेत्र को लगता है कि मौजूदा ढांचे में बढ़े हुए प्रभाव के कारण जोखिम कम हो सकता है, जिससे नए विचारो और प्रयोगो का विस्तार प्रभावित होता है। संचालन ढांचे को इस चिंता का समाधान करना चाहिए।
- वर्तमान प्रस्तावित योजना में, स्वैच्छिक संगठन सामाजिक परिवर्तन के प्रतिनिधि के बजाय उप-ठेकेदार प्रतीत होते हैं। इसलिए, तंत्र को स्वयं सेवी संस्थाओ को सेवा प्रदाताओं के बजाय भागीदार के रूप में दिखाना चाहिए।

कार्य प्रगति पर है

सितंबर 2020 में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (सेबी) ने गैर सरकारी संस्थाओ और सामाजिक उद्यमों को सोशल स्टॉक एक्सचेंज में शामिल करने के साथ वित्तीय और संचालन आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक तकनीकी समूह की स्थापना की। यह समूह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सोशल इंपैक्ट इन्वेस्टर और अन्य संबंधित संगठनों से प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

संदर्भ

1. भारत में परोपकारी पूंजी का अनुमान: स्वीकृति और चुनौतियां, सीएसआईपी अशोक विश्वविद्यालय
2. https://fcraonline.nic.in/fc_dashboard.aspx 27 अक्टूबर 2020 को अपडेट किया गया
3. https://csr.gov.in/statelist.php दिनांक 25 जून, 2020
4. भारत में सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज की अवधारणा का विश्लेषण; जुलाई 2020; home.kpmg/in
5. BOVESPA और सोशल स्टॉक एक्सचेंज: विकास के लिए वित्तीय बाजार को जुटाना। लेखक: डेनिएल ज़ांडी, केस वेस्टर्न रिज़र्व यूनिवर्सिटी, ग्लोबल कॉम्पेक्ट ऑफ़िस द्वारा कमीशन, अक्टूबर 2004
6. सामाजिक उद्यमों और सामाजिक कंपनियों के लिए सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज: भारत के लिए एक खोजपूर्ण अध्ययन, सचिन चतुर्वेदी, सब्यसाची साहा और अरुण नायर, नवंबर 2019
7. https://www.bfi.org/ideaindex/projects/2018/global-social-investment-exchange-sasix
8. https://www.imfino.com/en/
9. https://www.svx.ca/faq
10. सामाजिक वित्त: सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज चुनौती को पूरा कर सकते हैं: सारा दादूश
11. सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट, https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics/reports/jun-2020/report-of-the-working-group-on-social-stock- exchange_46751.html
12. https://www.sebi.gov.in/media/press-releases/sep-2020/sebi-constitutes-technical-group-on-social-stock-exchange_47607.html

वाणी के प्रकाशनों की सूची

- भारत में नागरिक समाज संगठनों के संदर्भ में स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी)
- फाइनेंशिंग सस्टेनेएबल डेवलपमेंट सिविल सोसाइटी परस्सपैक्टिव ऑन एशियन इनफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (अंग्रेजी और हिन्दी)
- स्टडी ऑन कैपासिटी बिल्डिंग एंड नीड ऐसैसमेंट ऑफ वालंटरी ऑग्रेनाइजेशनस (अंग्रेजी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक समर्थकारी वातावरण बनाने की दिशा में: एक अध्ययन रिपोर्ट
- इंडिया–अफ्रीका पार्टनरशिप: ए सिविल सोसाइटी परस्पैक्टिब (अंग्रेजी)
- उपद्रवग्रस्त राज्यों में स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थिति – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी)
- भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए एसएससी में विकास वित्त और सहयोग (अंग्रेजी और हिन्दी)
- इन्कम टैक्स एक्ट फार दी वालंटरी सैक्टर – ए स्टडी रिपोर्ट (अंग्रेजी)
- मॉडल पॉलिसी रजिस्ट्रेशन – ए स्टडी रिपोर्ट (अंग्रेजी)
- नागरिक समाज की जवाबदेही के सिद्धांत और व्यवहार (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक भूमंडलीय अभियान (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय सुशासन के लिए मॉडल नीतियां
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए सुशासन पर एक हैंडबुक
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति की जरूरत (अंग्रेजी और हिंदी)
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति का नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिंदी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी)
- भारत में सतत विकास – समीक्षा और आगे की प्रक्रिया नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- वित्तीय समावेश की आलोचनात्मक समीक्षा – भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए जी 20 के देश नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- बहिष्कृत लोगों को शामिल करना – भारत में समावेशपूर्ण संवृद्धि सुनिश्चित करना नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- भारत में भ्रष्टाचार और अभिशासन – वर्तमान स्थिति और आगे की प्रक्रिया नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र की स्थिति (प्राइमर) (हिंदी और अंग्रेजी)
- सहायता प्रभावकारिता चर्चा में नागरिक समाज की संलग्नता
- स्वैच्छिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र के बीच बदलती गतिशीलता
- सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में स्वैच्छिक संस्थाओं को शामिल करना
- भारत के भूमंडलीय पदचिन्ह
- भारत की विकास सहयाता: रुझान, चुनौतियां और सीएसओज के लिए निहितार्थ
- जी 20 में भारत की भूमिका: एक नागरिक समाज दृष्टिकोण
- धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- महिलाओं के साथ काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- जमीनी स्तर की स्वैच्छिक संस्थाओं की चुनौतियां – अध्ययन रिपोर्ट का प्राइमर (अंग्रेजी और हिंदी)
- जल और स्वच्छता के संबंध में स्वैच्छिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- दलितों को लेकर कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां
- शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, जल और स्वच्छता के विषयगत मुद्दों को लेकर काम करने में सीएसआर का योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)

वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) के बारे में

वाणी भारतीय स्वैच्छिक विकास संगठनों (वीडीओ) का एक राष्ट्रीय नेटवर्क है। वर्तमान में वाणी के पूरे भारत में लगभग 10,000 वीडीओ के साथ 540 सदस्य हैं। वाणी की सदस्यता जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय संगठनों तक है। सदस्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, एकीकृत बाल विकास, आजीविका, कौशल विकास, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, जल और स्वच्छता, आपातकालीन प्रतिक्रिया और तैयारियों, कृषि, गरीबी सहित सरकार के प्राथमिकता वाले विकास के मुद्दों पर काम करते हैं। और इसी तरह, देश के कुछ सबसे कठिन क्षेत्रों में 2017-18 में, हमारा नेटवर्क सामूहिक रूप से बच्चों, विकलांगों, महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, आपदा से बचे, बेरोजगार, युवाओं, एलजीबीटी, यौनकर्मियों सहित कमजोर और हाशिए के समूहों से जुड़े 32 मिलियन से अधिक लोगों तक पहुंचा है , आदि वाणी। ने अपने प्रयासों और रणनीतियों के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय बल्कि क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर एक मजबूत नागरिक समाज क्षेत्र का निर्माण किया है। वाणी को स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए मिशन के साथ स्थापित किया गया था, मूल्य आधारित स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देकर क्षेत्र के लिए जगह बनाएं। वाणी के हस्तक्षेप बाहरी और आंतरिक सक्षम वातावरण को मजबूत करने के लिए केंद्रित हैं। बाहरी सक्षम वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए, वाणी साक्ष्य आधारित वकालत करती है जिसमें नियामक ढांचे और संसाधन निर्माण शामिल हैं। वाणी को हासिल करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अन्य हितधारकों के साथ काम करती है। आंतरिक सक्षम वातावरण को मजबूत करने के लिए, वाणी लचीलापन बनाने और इंटरैक्टिव शैक्षिक घटनाओं और सूचना प्रसार के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। वाणी प्रमाण आधारित अनुसंधान आयोजित करके एक संसाधन केंद्र बनने का प्रयास करती है; न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी अध्ययन, लेख और रिपोर्ट प्रकाशित करती है।

VANI
Celebrating 30 Years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

Voluntary Action Network India (VANI)
(An Apex Body of Voluntary Organisations)
VANI House, 7, PSP Pocket,
Sector-8, Dwarka, New Delhi - 110 077
Ph.: 011-49148610, 40391661, 40391663
Email: info@vaniindia.org Website: www.vaniindia.org